

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.17(16)नविवि / नियम / 2021

जयपुर, दिनांक:— 03 मई, 2021

—आदेश:—

वर्तमान में कोविड-19 महामारी की द्वितीय लहर में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमितों की मेडिसिन ऑक्सीजन पर निर्भरता बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके मध्यनजर राज्य के नगरीय निकायों द्वारा अपने—अपने संसाधनों से एवं निजी संस्थाओं द्वारा ऑक्सीजन गैस संयंत्र स्थापित किए जाने के संबंध में तकनीकी एवं सुरक्षात्मक प्रावधानों के प्रचलित नियमों के अनुसार निकाय स्तर से सुनिश्चितता किए जाने पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत निम्न शिथिलता/छूट व्यापक जनहित में प्रदान की जाती हैं :—

1. मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट कृषि/अकृषि भूमि पर स्थापित किए जाने हेतु प्रभावी एवं ड्रापट मास्टर प्लान के समस्त भू—उपयोगों (प्लांटेशन बैल्ट, पार्क, प्लै ग्राउण्ड आदि को छोड़कर) में अनुज्ञे होंगे।
2. निर्देशित किया जाता है कि मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किए जाने हेतु राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—ए के आवेदन के साथ भूमि अवाद्धि में न होने, कोर्ट में वाद लंबित न होने, भूमि का टाईटल निर्विवादित होने, भूमि प्रतिबंधित श्रैणी में नहीं होने बाबत शपथ पत्र लिया जाकर, शपथ के आधार पर 90—ए का आदेश जारी किया जावे। भूमि संबंधित निकाय के नाम दर्ज की जाकर नियमानुसार ले—आउट प्लान/साइट प्लान अनुमोदित कर जारी किया जावे। अनुमोदन पश्चात उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को गलत पाये जाने की स्थिति में अनुज्ञा/अनुमोदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
3. मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किए जाने हेतु भवन विनियम 2020 के अंतर्गत भवन मानचित्र शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।
4. मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किए जाने हेतु समस्त क्षेत्रफल के पट्टा विलेख संबंधित निकाय स्तर पर ही जारी किए जायेंगे, राज्य सरकार से पृथक से स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।
5. राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर—कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 10 के अंतर्गत देय प्रीमियम में शत प्रतिशत छूट तथा नियम 20 के अंतर्गत लीज राशि में छूट के संबंध में पृथक से अधिसूचना जारी की जा रही है।

महामारी की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त कार्यवाही 7 कार्य दिवस में पूर्ण की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

३०.५.२०२१
(राज्यपाल सिंह यादव)
संयुक्त शासन सचिव—तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि समस्त नगरीय निकायों को उपरोक्तानुसार निर्देशित किए जाने का श्रम करावें।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
7. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
9. सचिव, समस्त नगर विकास, न्यास।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

१ | २
३.५.२०२१

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय